

# बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

## अधिसूचना

पटना, दिनांक / / 2026

सं० संख्या-2/एल-60/2023- /स्वा०, डा० गीताजली, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उजियारपुर, समस्तीपुर को विभागीय आदेश संख्या-916(2), दिनांक-03.06.2025 द्वारा दिनांक-05.05.2025 से 31.10.2025 तक कुल-180 दिनों का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2. डा० गीताजली को उक्त आदेश की सूचना दिनांक-05.06.2025 को मिलने के उपरान्त दिनांक-09.06.2025 को प्रभार त्याग किया गया।

3. सिविल सर्जन, समस्तीपुर के ज्ञापांक-4717, दिनांक-09.12.2025 के आलोक में डा० गीताजली के दिनांक-10.06.2025 से 06.12.2025 तक कुल-180 दिन मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। पूर्व निर्गत आदेश संख्या-916(2) दिनांक-03.06.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-60/2025- 354(2) पटना, दिनांक 16/2/2026  
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उजियारपुर, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/डा० गीताजली, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उजियारपुर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Waman K. Singh  
सरकार के उप सचिव

A